राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
282 / 2019	30.10.2019	27.10.25

उनवान:

1. भाती देवी बेवा श्री विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....मृतक
2. कमला पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. छोटादेवी पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. बिमला पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. बाबूलाल पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
6. विक्रम पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
7. भूतेरी उर्फ राजबाला पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
8. रोशनलाल पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
9. सविता पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
10. कृष्णा देवी पत्नी स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
11. सहीराम पुत्र स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

11ए. बबली पुत्री स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

12. सुशीला पुत्री स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
13. रूपराम पुत्र श्री श्योबक्स स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर निवासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0..........मृतक

बनाम

महावीर पुत्र जुगलकिशोर.................मृतक

/1 जगदीश पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल आबाद सैक्टर–19 बावल चौक रेवाडी हरि0

/2 राजवीर पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल आबाद सैक्टर–19 बावल चौक रेवाडी हरि0

/3 सरस्वती पुत्री महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री सत्यवीर निवासी शिमला तहसील खेतडी जिला झुझूनू राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

1/4 कृष्णा पुत्री महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री सुमेर निवासी लहरोदा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0

1/5 सरवन्ता पुत्री महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री हनुमान निवासी नूनी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0

2. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड
4. नवलसिंह पुत्र श्री फूलसिंह
5. राजाराम पुत्र फूलसिंह
6. मानसिंह पुत्र फूलसिंह
7. निर्मला पुत्री फूलसिंह
8. पार्वती पुत्री फूलसिंह
9. रामकला पुत्री फूलसिंह
10. विनोद देवी पुत्री फूलसिंह
11. रामबक्स देवी पुत्री फूलसिंह
12. मिश्री पत्नी रामेश्वर
13. नरेश पुत्र रामेश्वर
14. सुरेद्र पुत्र रामेश्वर
15. भवानीसिंह सपुत्र रामेश्वर
16. हवासिंह पुत्र रामेश्वर
17. रामनिवास पुत्र गुरूदयाल
18. होशियारसिंह पुत्र नित्यानन्द
19. संतरा पुत्री सूरजभान
20. सावित्री पुत्री सूरजभान
21. माया पुत्री सूरजभान सभी जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड

............प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :— श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय।।

पत्रावली पेश हुई। वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 343 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा जिसके संवत 2020 मे खसरा नम्बर 407 रकबा 11 बिघा 7 बिस्वा कायम हुऐ है व इस आराजी से संवत 2042 मे हाल खसरा नम्बर 437 रकबा 0.72 है0, 442 रकबा 0.71 है0, 443 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम नायसराना तह0 नीमराना कायम हुये है। आराजी मुतनाजा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 लगा0 21 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। साबिक खसरा नम्बर 343 रकबा 11 बिघा 5 बिस्वा के हिस्सा—1/4 बिशम्भर बल्ला उर्फ बलबीर रूपराम उमराव पुत्रान श्योबक्स अहीर निवासी डूमरोली का तथा 1/4 हिस्सा श्योदान पुत्र चुन्ना अहीर निवासी डूमरौली तह0 नीमराना का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 लगा0 21 के बुजूर्गो की खातेदारी की आराजी थी,जो खातेदारी इन्द्राज संवत 2029 की जमाबन्दी मे सही दर्ज है। उक्त आराजी मे श्योदान पुत्र चुन्ना ने अपने 1/4 भाग को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 07.10.1964 को चन्द्रभान मातादीन किशनसहाय पि0 निहालचन्द को मौके पर कबजा देकर बेचान किया गया था। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

तीनो बुजूर्ग मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर जीवन प्रयन्त काश्त करते रहे तथा उक्त तीनो बुजूर्ग फौत हो चुके है। जिनके बाद उनके वारिसान बुजूर्गो के कुरस्पोट पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। बिशम्भर बल्ला उर्फ बलबीर,उमराव भी फौत हो चुके है जिनके बिशम्भर के वारिवादी वादी सं0 1 लगा. 9 है तथा बल्ला उर्फ व लबीर के वारिसान वादी सं0 10,11,11ए,12 है तथा उमराव नावल्द फौत हुये है। जिनके वारिसान वादीगण ही है। जो अपने–अपने बुजुर्ग के खरीद शुदा हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है तथा बयनाना के मुताबिक संवत 2029 व 2033 की जमाबन्दी मे वादीगण के बुजूर्ग बिशम्भर,बल्ला उर्फ बलबीर,रूपराम, उमराव के नाम से 1/4 हिस्से की समनाम खातेदारी दर्ज हो चुकी थी। लेकिन संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा साबिक खसरा नम्बर 407 रकबा 11 बिघा 7 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 437 रकबा 0.72 है0, 442 रकबा 0.71 है0, 443 रकबा 1.39 है0 कायम किये जाकर गलती व लापरवाही से हन वादीगण के बुजुर्गो के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को हटा दिया और प्रतिवादी सं0 1 नहावीर पुत्र जुगलकिशोर के नाम से हिस्सा–1/2 गलत दर्ज कर दिया गया। जिसने 1/4 हिस्सा हम वादीगण के बुजूर्गो की खातेदारी का कैजा दर्ज कर दिया गया। जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे रिपिट होता चला आ रहा है। जिससे हन वादीगण के हक हकूक प्रभावित होते है। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी सं0 1 का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 के नान से बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से गलत खातेदारी दर्ज कर दी गई । इसलिए आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से पर से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1/4 हिस्से ने से 1/2 हिस्से की खातेदारी बिशम्भर के वारिसान को समनाम के रूप ने तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी बल्ला उर्फ बलबीर के वारिसान को समनाम घोषित किया जाने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1/1 लगा.1/5 एवं प्रतिवादी सं0 4 लगा.21 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुऐ । पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे पी.ड.–1 बाबूलाल पुत्र बिसम्भरदयाल पी.ड.–2 रामनिवास पुत्र गुरूदयाल, पी.ड.–3 मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की एक तरफा कार्यवाही की हुई है। इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये । पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से बन्दोवस्त संवत 2042 मे बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसमे 1/4 हिस्सा चन्द्रमान मातादीन किशनसहाय पुत्रान निहालचन्द का व 1/4 हिस्सा वादीगण के बुजूर्ग बिसम्भरदयाल, बल्ला उर्फ बलवीर ,उमराव का गलत दर्ज कर दिया गया जिसमे चन्द्रमान वगै0 के वारिसान ने दुरूस्ती का दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया था जो राजस्व वाद सं. 210/2016 उनवान शेरसिंह वगै0 बनाम महावीर वगै0 चला था जिसमे महावीर पुत्र जुगलकिशोर के वारिसान ने इकबाल जवाब दावा पेश किया जाने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त दावा को दिनांक 20.01.2025 को डिक्री किया जा चुका है। शेष 1/4 हिस्सा वादीगण का महावीरसिंह के नाम से गलत दर्ज है जिसकी बावत वादीगण द्वारा यह

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

दावा पेश किया गया है जिसमे प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित नही हुये है इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादीगण का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण डिक्री किया जाने के तर्क दिये गये तथा अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे लिखित बहस भी पेश की गई।

हमने वकील वादीगण की बहस पर गहनता से मनन किया तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 जमावन्दी संवत 2029 मे खसरा नम्बर 407 रकबा 11 बिघा 7 बिस्वा के विशम्भर रूपराम वल्ला उमराव पि. श्योबक्स समभाग हिस्सा–1/4 के दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के मुताविक खसरा नम्बर 407 के नये खसरा नम्बर 437 442, 443 कायम किये गये। लेकिन मिसल जमावन्दी तैयार की गई उसमे वादीगण के बुजूर्ग विशम्भर रूपराम वल्ला उमराव के नाम से खातेदारी दर्ज नही की गई तथा महावीर पि. जुगला के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जिस इन्द्राज को दुरूस्त करने बावत राजस्व वाद सं0 210/2016 उनवान शेरसिंह वगै0 बनाम महावीर वगै0 पेश किया गया था जिसमे प्रतिवादी सं0 1/1 लगा0 1/5 द्वारा उनके पिता महावीर के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को गलत दर्ज होना स्वीकार करते हुऐ इकबाल जवाब दावा पेश करने पर,उस दावा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 को डिक्री किया जा चुका है तथा महावीर के नाम से शेष 1/4 हिस्से को दुरूस्त करवाने बाबत उक्त अनुवानी दावा पेश किया गया है जिसमे प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादीगण का वाद सावित होने के कारण न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1/1 लगा. 1/5 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 437 रकबा 0.72 है0, 442 रकबा 0.71 है0, 443 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम नायसराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–वहरोड के 1/4 हिस्से पर से प्रतिवादी सं0 1/1 लगा. 1/5 के पिता महावीर पुत्र जुगलकिशोर का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के वादी सं0 1 लगा0 9 प्रत्येक को हिस्सा–1/72 के तथा वादी सं0 10,11,11ए,12 प्रत्येक को हिस्सा–1/32 के खातेदार खातेदार घोषित किये जाते है तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

नोट:- आदेश में वादी सं. 1 लगा 9 के स्थान पर 2 लगा 9 व हिस्सा 1/72 के स्थान पर 1/64 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
282 / 2019	30.10.2019	27-10-25

उनवानः

1. भाती देवी बेवा श्री विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....मृतक
2. कमला पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. छोटादेवी पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. बिमला पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. बाबूलाल पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
6. विक्रम पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
7. भूतेरी उर्फ राजबाला पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
8. रोशनलाल पुत्र स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
9. सविता पुत्री स्व. विशम्भरदयाल जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
10. कृष्णा देवी पत्नी स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
11. सहीराम पुत्र स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

11ए. बबली पुत्री स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

12. सुशीला पुत्री स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
13. रूपराम पुत्र श्री श्योबक्स स्व. बल्ला उर्फ बलबीर जाति अहीर विासी ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0..........मृतक

बनाम

1. महावीर पुत्र जुगलकिशोर..................मृतक

1/1 जगदीश पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल आबाद सैक्टर–19 वावल चौक रेवाडी हरि0

1/2 राजवीर पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल आबाद सैक्टर–19 वावल चौक रेवाडी हरि0

1/3 सरस्वती पुत्री महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री सत्यवीर निवासी शिमला तहसील खेतडी जिला झुझूनू राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

1/4 कृष्णा पुत्री महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री सुमेर निवासी लहरोदा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0

1/5 सरवन्ता पुत्री महावीर जाति अहीर निवासी नायसराना तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री हनुमान निवासी नूनी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0

2. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
4. नवलसिंह पुत्र श्री फूलसिंह
5. राजाराम पुत्र फूलसिंह
6. मानसिंह पुत्र फूलसिंह
7. निर्मला पुत्री फूलसिंह
8. पार्वती पुत्री फूलसिंह
9. रामकला पुत्री फूलसिंह
10. विनोद देवी पुत्री फूलसिंह
11. रामबक्स देवी पुत्री फूलसिंह
12. मिश्री पत्नी रामेश्वर
13. नरेश पुत्र रामेश्वर
14. सुरेद्र पुत्र रामेश्वर
15. भवानीसिंह सपुत्र रामेश्वर
16. हवासिंह पुत्र रामेश्वर
17. रामनिवास पुत्र गुरूदयाल
18. होशियारसिंह पुत्र नित्यानन्द
19. संतरा पुत्री सूरजभान
20. सावित्री पुत्री सूरजभान
21. माया पुत्री सूरजभान सभी जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

...........प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1/1 लगा. 1/5 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 437 रकबा 0.72 है0, 442 रकबा 0.71 है0, 443 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम नायसराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के 1/4 हिस्से पर से प्रतिवादी सं0 1/1 लगा. 1/5 के पिता महावीर पुत्र जुगलकिशोर का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के वादी सं0 1 लगा0 9 प्रत्येक को हिस्सा–1/72 के तथा वादी सं0 10,11,11ए,12 प्रत्येक को हिस्सा–1/32 के खातेदार खातेदार घोषित किये जाते है तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.15 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

नोट: ग्रा डेबा के वादी सं. 1 लगा. 3 के स्थान पर 1 लगा. 9 के हिस्सा 1/72 के स्थान पर 1/64 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)